International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(I), July - September, 2022, pp. 133-139

शहीदों की विधवाओं में सशक्तीकरण की आवश्यकताओं का एक समाजशास्त्रीय समीक्षात्मक विवेचना (राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के विशेष संदर्भ में)

योगिता रानी पंवार*

सार

युद्ध चाहे किसी भी देश में हो रहा हो, इसके विनाशकारी परिणामों का प्रभाव सम्पूर्ण समाज, परिवार, देश पर पड़ता है। भारत शूरवीरों का देश है, यहाँ असंख्य शूरवीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दी है। इन शहीदों के परिवारों को अपूरणीय क्षति होती है, खासतौर से शहीदों की विधवाओं का दुख भावनात्मक अधिक होता है। शहीदों की विधवाओं, आश्रितों को अधिक भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। प्रेम के स्थान पर प्रताड़ना, मान के स्थान पर अपमान, सहयोग के स्थान पर तिरस्कार, सुविधा के स्थान पर असुविधा को सहना पड़ता है। वर्तमान में शहीदों की विधवाओं के लिए कानून और अधिकार बहुत से कागजों पर दिखाई देते है किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। कभी रीति–रिवाज, प्रथा, परम्पराओं के नाम पर तो कभी भारतीय पित्र सत्तात्मक व्यवस्था शहीदों की विधवाओं को बंदिशों की बेड़ियों से जकड़ कर रखती है। आज के इस आधुनिक, वैश्विक, भौतिकवादी युग में राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के इन शहीदों की विधवाएँ शोषण, बलात्कार, घरेलू, सामाजिक हिंसा की शिकार होती रहती है। आज भी समाज इन विधवाओं को हीन, तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। विधवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि यह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, अपने खिलाफ हो रहे शोषण, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सके। इसी कारण महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 मनाया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक शोषण, अत्याचारों में सशक्तीकरण के माध्यम से हो रहे रूपान्तरों की चर्चा की है। इन नये रूपान्तरणों ने उनमें आधुनिक तत्वों का समावेश कर दिया है जो उनके मूल्यों, विश्वासों में पहले स्थित नहीं था। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं सन्दर्भो का एक समीक्षात्मक विवेचना करता है।

शब्दकोश : *सशक्तीकरण मूल्य, विश्वास, समीक्षात्मक, प्रताड़ना, शोषण, बंदिशे, बेड़ियां।*

प्रस्तावना

भारतीय पित्रसत्तात्मक समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं, विधवाओं की प्रस्थिति उत्तम दर्जे पर नहीं रही है। स्त्री–पुरूष के बीच भेदभाव प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक हमें दिखाई देता है। भारतीय समाज में नारी विधवाओं की स्थिति अनेक प्रकार के विरोधों से ग्रस्त रही है। एक तरफ वह परम्परा में शक्ति, देवी के रूप में देखी गई है, वही दूसरी तरफ शताब्दियों से वह अबला माया के रूप में देखी गई है। दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी व विधवा महिलाओं के प्रति समाज की समझ को उनके विकास को उलझाया है।

* शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

महिलाओं को विशेष तौर से विधवा महिलाओं को एक सहज मनुष्य के रूप में देखने का प्रयास पुरूषों ने तो किया ही नहीं स्वयं स्त्री ने भी नहीं किया। सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक संरचना में विषमता एक अनिवार्य अंग के रूप में सदैव विद्यमान रही है। कभी इसका आधार धर्म जाति तो कभी लिंग रहा है। वर्तमान में आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता का उदय होने के बावजूद भी बालक की तुलना में बालिकाओं की उपेक्षा है। शिक्षा की दृष्टि से लड़की को निरक्षर रखने या लड़को की तुलना में साधारण सी शिक्षा देने की औपचारिकता है। राजनीति, व्यापार, अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में उसे पीछे रखने का बराबरी का हक मांगने पर शारीरिक, मानसिक यातना देने का क्रम अभी भी जारी है। आज शहीदों की विधवाएँ घर और बाहर संस्कृति की पोषिका, अर्थव्यवस्था की धूरी, नीति आधारित राजनीति की संरक्षिका बनने का सामर्थ्य रखने के बावजूद समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। भारतीय संविधान देश के कानून ने देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है किंतु फिर भी देश समाज में महिलाओं, विधवाओं, शहीदों की विधवाओं के साथ होने वाले अपराधों की सूची कम नहीं हो रही है। घर की चारदीवारी से लेकर गली, कुची, सड़क, विद्यालयों, कार्यस्थलों पर भी शहीदों की विधवाओं के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, क्रूरता, हिंसा, एसिड अटैक, वेश्वावृत्ति, हत्या, घरेलू हिंसा इत्यादि ऐसे कई अपराध है जो होते रहते है। इन विधवाओं को हर क्षेत्र में सशक्त करना आवश्यक है। भारत में हर महिला को सशक्त करने हेतु महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 भी मनाया जाता है।

- **विधवा का अर्थ, स्थिति, अवधारणाः** वैधव्य एक महिला के जीवन में घोर कठिनाईयों भरा क्षण है जिसमें स्वयं एवं परिवार के साथ नया सामाजिक सामजंस्य स्थापित करना होता है **(अराध्या बी.एम.एम.)।**[1] विधवा महिलाओं की स्थिति समाज में एक ऐसा विषय है, ऐसी समस्याएं है जिस पर इतिहासकार महिला सम्बन्धित मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हे, वैधव्य के विषयपरक वस्तुपरक दोनों प्रकार के प्रभाव, परिणाम होते है। जहाँ तक विषयपरक परिणाम की बात है, विधवा और विधुर दोनों के लिए लगभग समान है, लेकिन वस्तुपरक परिणाम विशेष रूप से पुरूषों और महिलाओं के मध्य एकदम भिन्न भूमिका अदा करता है। वैधव्य के सम्बन्ध में जो सामाजिक परिणाम आता है वो एक विधवा की स्व–अवधारणा पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। **(गोदावरी)।**[2] विधवा एक ऐसा सम्प्रत्यय है, जिसका उदभव समाज की परम्परागत रीति रिवाजों के कारण हुआ है जो आज के वैश्विक युग में भी जिसमें समाज तकनीकी सोच, आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन की बात करता है। इन परिवर्तनों को स्वीकारता है। आज भी विधवा सम्प्रत्य से जुड़ी भ्रांतियों को कायम रखा हुआ है विधवा होते ही एक महिला सुहागन से अभागन बन जाती है। उस महिला को अपशगुनी माना जाता है। मृत्यु उसके पति की होती है सजा विधवा महिला को मिलती है।

रामायण में भी कहा गया है कि एक गहरा खतरा जो कि महिलाओं तक पहुंचता है उन्हें यकायक जकड़ लेता है, वो है विधवापन (विधवा होने का खतरा) **(राजकुमार)।**[3] विधवा होने के 12 दिन के अंदर उस महिला को सुहाग की तमाम प्रतीको को स्वयं से अलग करना पड़ता है। मांग का सिंदूर, हाथो के कंगन, माथे की बिन्दिया, मंगलसूत्र, रंगीन कपड़े इत्यादि। भारतीय समाज के संस्कारों के अनुसार एक महिला सुहाग की निशानियाँ अपने पति के नाम से ग्रहण करती है अतः सुहाग के प्रतीकों को अपने पति की मृत्यु के बाद धारण न करना तो सटीक प्रतीत होता है लेकिन कुछ ऐसी कुरूतियाँ भी है, जो समाज को जकड़े हुये है, जैसे– विधवा महिला के बालों को छोटा करना, दक्षिण के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों में एक विधवा को अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य होता है, रंगीन कपड़ों कें स्थान पर सफेद साड़ी पहनना जरूरी होता है। वैवाहिक मांगलिक कार्यो में भाग लेना वर्जित है। हिन्दू परिवार में सभी विधवा महिलाओं को चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो इन सभी रूढ़िवादी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, हिन्दू विधवाओं का जीवन, तीव्र वेदना, दुखमय, दर्दनाक, कष्टपूर्ण, कठोर संयम का जीवन है, जो कि सामाजिक प्रथाओं द्वारा उन पर थोपा गया है **(केटन, मैरियली)।**[4] वैधव्य को एक प्रकार की सामाजिक मृत्यु माना । विशेष तौर से ऊपरी जातियों में यह सामाजिक मृत्यु कई परिणाम लेकर आती है– जैसे सन्तान का पुनरूत्पादन, सैक्सुअलिटी से उसका अलगाव, परिवार की सामाजिक इकाई के रूप में उसका पृथक्करण इत्यादि। एक पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला अब सिर्फ एक व्यक्ति है और

यह समस्या उत्पन्न होती है, ब्राहम्णवादी पितृसत्तात्मक ढ़ॉचे में **(उमा चक्रवर्ती)।**[5] विडोहुड पूर्व भूमिकाओं और सम्बन्धों को रोककर नये सम्बन्धों, अपेक्षाओं की शुरूआत का प्रतिनिधित्व करता है। एक विधवा महिला के लिए सती धर्म का पालन करना अपरिहार्य है इसलिए उसका सामाजिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि वह परिवार के अन्य नातेदारों के साथ बेहतर ढ़ंग से सामंजस्य स्थापित कर सके। निषेधात्मक सम्बन्धों को निभाते हुए अगर वह वैधव्य के नियमों का पालन करेगी तो अगले जन्म में पुनः अपने पति को प्राप्त कर सकेगी और सदा सुहागिन रहेगी **(अरविन्द शर्मा)।**[6] ईसाई धर्म विडोहुड, विधवा पुनः विवाह दोनों को सामान्य रूप से स्वीकार करता है विडोहुड की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखता है। ईसाई साधारण महिला, विधवा दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है **(जोगुला)।**[7] दिवराला में रूप कँवर सती हुई थी भारतीय समाज में विधवा हर स्तर पर उपेक्षित है सम्पत्ति सम्बन्धी मामले, खान–पान एवं उपभोग जैसे मुद्दे पर रति–प्रकृति के मामले में पूरी तरह उपेक्षित है। सामाजिक स्तर पर सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा पाने में असमर्थ है, वे समाज की उपेक्षा का शिकार है इस सन्दर्भ में जनमत भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति भी सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है। अतः राज्य और प्रशासन तंत्र भी इन संवेदनशील मुद्दों पर हस्तक्षेप की नीति से बचता है क्योंकि वह अपने वोट बैंक के प्रभावित होने का खतरा महसूस करते है **(मार्था अल्टर चेन)।**[8] भारतीय हिन्दू समाज में पंति की मृत्यु के बाद स्त्री को (1) ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था (2) अपने मृत पति के साथ चिता में सती होना पड़ता था। इन दोनों में से किसी एक का पालन करना अनिवार्य था। शास्त्रकारों ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की क्योंकि विधवा का चरित्र, आचरण शुद्ध रह सके, समाज का नैतिक सामाजिक स्तर ऊँचा रहे। ब्रहमचर्य का जीवन हिंदू समाज में विधवा के लिए शुद्ध, पवित्र जीवन जीने के लिए निर्देशित किया गया था उनके लिए अनेक नियम बनाये गये थे जिनका पालन करना आवश्यक था पति के मरने पर जो पतिव्रत, ब्रहमचर्य का पालन करती है वह सब पापों को छोड़कर पतिलोक को प्राप्त होती है (बृहस्पति स्मृति के अनुसार) नित्य व्रत, उपवास ब्रहमचर्य में व्यवस्थित दया और दान में रत स्त्री अपुत्रा होते हुये भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। मनुस्मृति के अनुसार पति के मर जाने पर विधवा पुष्प, कन्द, फल के आहार से अपना शरीर कमजोर करे, दूसरे पुरूष का नाम भी न ले। धर्मशास्त्रों ने इसके लिए अनेक नियम बनाये जैसे बाल को न संवारे पान, सुगंधित चीजें, सुगंधित द्रव्य, फूल, अलंकार का प्रयोग न करे, दिन में दो बार न खाये। पुराणों में भी विधवा के लिए कठोर जीवन अपनाने के लिए कहा गया था। भूमि पर शयन करना, क्रोध से दूर रहना, श्वेत वस्त पहनाना, इन्द्रियों को नियंत्रित रखना एक विधवा का परम कर्तव्य था, आभूषण का त्याग, केश न रखना, मलीन वस्त्र पहनना अनिवार्य था। स्मृतिकाल से आगे तक विधवाओं को पुर्नविवाह की अनुमति नहीं थी। मनु के अनुसार एक विधवा पुनः विवाह करती है, वह स्वयं को अपमानित करती है **(मनु)।**[9] ऋग्वेद काल में विधवा को नियोगा प्रथा थी जिसमें विधवा स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर अथवा अन्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने की स्वीकृति प्राप्त थी वशिष्ठ गौतम स्मृति एक विधवा के लिए विशुद्ध जीवन की सिफारिश करते है लेकिन विधवा महिला यदि पुत्र की इच्छा रखती हैं, यदि उसके प्रथम पति से कोई पुत्र नहीं है तो वह नियोगा प्रथा के तहत पुत्र प्राप्त कर सकती है अपने पति के छोटे भाई को प्राथमिकता देते हुये ऐसा कर सकती है। महाभारत में भी नियोगा के उदाहरण मिलते है, धृतराष्ट्र और पाण्डु का जन्म नियोगा प्रथा का उदाहरण है। स्मृति काल में लगभग 200 वी.सी.– 1200 डी (एक ऐसी सामाजिक धारणा का जन्म हुआ जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक थी मनु ने महिलाओं के व्यक्तिगत अस्तित्व को नकारा है उन्हें पुरूष के नियंत्रण में रहने की वकालात की। महिलाओं को दिन रात पुरूष के नियंत्रण में रहनचा चाहिये **(अजीत कुमार राय)।**[10] गुप्तकालीन अनेक स्मृतियों में जीवित विधवा के लिए ब्रहमचर्य का व्रत, सदचरित्र, आचरण सम्बन्धी नियम का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। उपनयन, विवाह जैसे शुभ अवसरों पर केवल सधवा महिलाए वधु को सजा सकती थी (श्रृंगार) कर सकती थी विधवाओं का वहाँ जाना मना था। मनु ने विधवाओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे जैसे – (1) पति की मृत्यु के बाद वह अपने आपको पवित्र बनाए रखेगी (2) विधवा पुनः विवाह नहीं करेगी (3) पति की मृत्यु के बाद वह किसी अन्य पुरूष से बात नही करेगी (4) यदि विधवा के उसके पति

से कोई सन्तान (पुत्र/पुत्री) नहीं है तब भी उसे अन्य पुरूष के पास नहीं जाना चाहिये **(मधुशास्त्री)।**[11] इसके साथ ही ऐसे कई सामाजिक मापदण्ड, मूल्य थे जो एक विधवा महिला पर जबरदस्ती थोपे गये थे जैसे–

1. सफेद वस्त्र पहनना जरूरी था। 2. जमीन पर सोना, सादा खाना खाना। 3. विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसका होना अमंगलकारी माना जाता था। सुबह यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के सामने अगर विधवा दिखाई दे जाती थी तो यह माना जाता था अशुभ हो गया है, अब कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा।

महिला सशक्तीकरण की अवधारणा, अभिप्राय

आज महिला सशक्तीकरण की अवधारणा एक प्रचलित अवधारणा हो गई है। पहले इस अवधारणा को राजनैतिक वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, वे इसे सीमित दायरे में सोचते थे। साधारणतया शक्ति से तात्पर्य राजनैतिक शक्ति या किसी संस्था को संवैधानिक, प्रशासकीय नियमों को राजनैतिक रूप देने से था बाद में इस अवधारणा का उपयोग समाज विज्ञान के क्षेत्रों में होने लगा। महिला सशक्तीकरण की अवधारणा पूरे विश्व में हुए महिला आन्दोलनों विशेष तौर से तीसरी दुनिया के महिला वादियों से उत्पन्न अनेक महत्वपूर्ण आलोचनाओं, वाद–विवाद का परिणाम प्रतीत होता है। इसका स्त्रोत लैटिन अमेरिका है। (1960–70) के दशक में विकसित महिलावाद व लोकप्रिय शिक्षा की अवधारणा के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के रूप में चिन्हित किया जा सकता है **(सुषमा सहाय)।**[12] सशक्तीकरण की अवधारणा का उदय तीसरे विश्व के नारीवाद का विशेष योगदान था। भारत में सशक्तीकरण का अर्थ कमजोर वर्ग का रूपान्तरण है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सशक्तीकरण है **(जेनेबू बानू)।**[13] सशक्तीकरण की प्रकृति के कारण इसे परिभाषित करना कठिन है, एक और जहाँ इसे विकास संस्थाए, कार्यक्रम अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करते है दूसरी ओर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से व्यक्ति गुजर रहे है वह प्रक्रिया वस्तुतः परिवर्तन की ओर अग्रसर है **(डिगुमती भास्कर राव, डिगुमती पुष्पालता राव)।**[14] सशक्तीकरण के निम्नलिखित अंग बताये है– आत्म सम्मान, स्वतंत्रता की लालसा, समूह चेतना बढ़ाना, आत्मक्षमता बढ़ाना, आत्म विश्वास, पर्यावरण के बारे में ज्ञान, समस्या निवारण की सोच, आत्मवृद्धि, आर्थिक प्रस्थिति, परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार, लड़कियों की चाहत, शिक्षा, उनके भविष्य की सोच लड़कियों पर धन खर्च, स्वास्थ्य देखभाल बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा, सामुदायिक सम्बन्ध, परिवार नियोजन इत्यादि।

सशक्तीकरण की आवश्यकता

राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवाओं को इस आधुनिक, वैश्वीकरण युग में अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान में रीति–रिवाज, परम्पराओं, प्रथाओं को अधिक माना जाता है इन्हीं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यहां तक कि रहने, पहनने, बोलने आदि सबका निर्धारण परम्पराओं, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है। राजस्थान में इन कुप्रथाओं के कारण विधवा महिलाओं, राजपूत विधवा महिलाओं, शहीदो की विधवाओं के साथ अधिक शोषण होता आ रहा है। इसी कारण आज भी विधवा महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी है। विधवा को कलंकिनी, डाकन, डायन, राण्ड जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। विधवाओं को शुभ कार्यो से दूर रखा जाता है। शुभ कार्यो में विधवाओं का आगे आना अपशगुन माना जाता है। एक महिला की स्थिति उसके जीवन शैली, दैनिक दिनचर्या में उसके पति की मृत्यु के बाद अनगिनत परिवर्तन आते है उसका अपना वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है पति की मृत्यु एक महिला को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालती है। एक विधवा नकारात्मक भावनाओं की स्थिति में आ जाती है। स्वयं को अलग–थलग, अलगाव की स्थिति में पाती है। वैधव्य एक सामाजिक कलंक के रूप में एक महिला की पहचान के साथ जुड़ जाता है। विधवाओं को सती होने के लिए उकसाया जाता है। शहीदों की विधवाएँ, विधवाएँ सगे सम्बन्धियों, ससुराल पक्ष के लोगों की अमानवीय यातनाओं से बचने के लिए स्वयं स्वेच्छा से सती हो जाती है। समाज परिवार से किसी भी प्रकार की उन्हें सहानुभूति नहीं मिलती। यदि हम राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवाओं की प्रस्थिति को देखे तो शेरगढ़ तहसील राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हैः शेरगढ़ किले का निर्माण जोधपुर के राठौड़ वंश के महाराजा मालदेव ने करवाया था राजा,

महाराजाओं के समय यह सैनिक छावनी के रूप में काम में लिया जाता था। शेरगढ़ तहसील शेरों की धरती अर्थात सूर वीरों की धरती के रूप में मशहूर है। यहाँ की वीर प्रसूता जननियों ने अपने पुत्रों को अपने कलेजे से न चिपका कर उन्हें देश सेवा हेतु सीमा पर भेजा शेरगढ़ वीर–वीरागंनाओं की भूमि है। यहां सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है। यहां शहीदों की विधवाओं की संख्या काफी संख्या में है। यहाँ की शहीदों की विधवाओं की समाज में प्रस्थिति उत्तम दर्जे पर नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय, नेतृत्व लेने में इतनी सक्षम नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिये इन्हें सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा इनके हितों के लिये चलाये जा रहे कल्याण पुर्नवास योजनाओं के प्रति जागरूकता कम है। इन शहीदों की विधवाओं को पुनःविवाह करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह विधवाएँ हिंसा, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज नहीं उठा पाती है। संवैधानिक, कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवाओं के लिए जो कल्याण, पुर्नवास हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है, उन पर राजनीतिक प्रभाव अधिक पाया जाता है। इन शहीदों की विधवाओं के लिए जो स्वयं सेवी संगठन (N.G.O.) द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे है उनका लाभ इन शहीदों की विधवाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवाओं को हर क्षेत्र में सशक्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान के इस आधुनिक पाश्चात्य तकनीकी युग में जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की विधवाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ है। समाज में स्थिति सुधरी है किन्तु यह परिवर्तन ऊँट के मुँह में जीरा है। राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवाओं से सम्बन्धित समस्याएँ निम्नलिखित है –

1. इन शहीदों की विधवाओं की वेदना का स्वरूप आर्थिक होने की अपेक्षा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक अधिक होता है अपने जीवन साथी को खो चुकी यह यह शहीदों की विधवाएँ भावनात्मक रूप से विखण्डित हो जाती है। 2. भारतीय समाज विधवाओं को अभिशाप के रूप में देखती है। 3. इन विधवाओं का व्यक्तित्व का पतन होता है। 4. इन्हें समाज में अपमान, तिरस्कार, शोषण, असहयोग, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। 5.इनका आर्थिक सशक्तीकरण हो इसके लिए घरेलू उद्योग धन्धों का अभाव होता है। 6.सामाजिक पहचान का अभाव। 7. सामाजिक सहयोग का अभाव। 8. आर्थिक संसाधनों की उपयोगिता सम्बन्धी ज्ञान/जागरूकता का अभाव। 9. सामाजिक, सामुदायिक, सरकारी कार्यक्रमों मे सहभागिता का अभाव। 10. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ। 11. कई समाजों में आज भी विधवा पुनः विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। 12. अधिकांश शहीदों की विधवाएँ ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है वे अशक्त या कम शिक्षित या अशिक्षित होती है। सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है। 13. अधिकांश शहीदों की विधवाएँ इतनी सक्षम नहीं होती है कि वह अपनी बात को मीडिया तक पहुंचा सके। पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, साहित्यकार लेखकों के द्वारा भी इनकी समस्याओं को उजागर करने में समस्या का समाधान करने में कोई रूचि नहीं दिखाई जाती है। 14. कुल, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रेरणा के नाम पर शहीद प्रतिमा का निर्माण करके, उसके रखरखाव में लाखों खर्च किये जाते है। इन खर्च में सरकार कोई खर्चा नहीं देती है। यह राशि शहीदों की विधवाओं द्वारा ही व्यय की जाती है। शहीदों की विधवाओं को सशक्त करने हेतु की गई कल्याणकारी योजनाएँ– सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की गई जो पूर्व सैनिकों को रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों, नियमों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। शहीदों की विधवाओं को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा विशेष पहचान पत्र दिया जाता है। इन पहचान पत्र को सरकारी कार्यालय में दिखाने पर विशेष सम्मान दिया जाता है। उनके कार्यो को प्राथमिकता दी जाती है। (2) द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) में भाग लेने वाले सैनिकों की विधवाएँ जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से पेंशन सहायता नहीं मिलती है उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। सम्मान भत्ता, कृषि भूमि का आवंटन, शहीदो के परिजनों की नियुक्ति, शहीदों के परिजनों को विद्युत कनेक्शन, शहीदो के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, नियोजन हेतु आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दोहरी पेंशन दी जाती है। 1. सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ 2. राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी

पारिवारिक पेंशन मिलती है। पूर्व सैनिकों, शहीदों के बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। वीरांगना छात्रावास, पुर्नवास केन्द्र, बालक बालिकाएँ छात्रावास की स्थापना की गई है, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु अमगलमेअेड फण्ड की स्थापना की। शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिक, विधवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना की गई, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से शहीदों की विधवाओं उनके परिजनों हेतु निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है (A) छात्रवृत्ति (B) पेन्यूरी ग्रान्ट (C) दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता (A) पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान (E) चिकित्सा सहायता (F) मकान मरम्मत हेतु अनुदान (G) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) प्रशिक्षण के दौरान अनुदान (H) अंतिम संस्कार हेतु अनुदान (I) अनाथ बच्चों को अनुदान (J) व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (K) गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए (L) मोडिफाईड स्कूटर हेतु कम ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान दिया जाता है। (M) कारगिल पैकेज में शहीदों की वीरांगनाओं को आर्थिक लाभ दिया जाता है। महिलाओं को चाहे वह सधवा हो या विधवा उन्हें सशक्त करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 15(4), 16, 21(क), 21, 42, 43, 44, 45, 51, 325, 326 का प्रावधान किया गया है। कई अधिनियम बनाये गये है जैसे सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, दहेज प्रथा निवारण अधिनियम 1961 संशोधन (1966) बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 संशोधन (1976) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधि. 1966 औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से सम्बन्धित अधि. 1971, विशेष विवाह अधिनियम 1954 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संशोधित (1986) 73, 74वां संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, मातृत्व लाभ अधि. 1961, दहेज निषेध अधि. 1961 सती प्रथा निषेध अधि. 1987, समान मजदूरी अधि. 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण अधि. 2013) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन लोगों को सशक्त करने हेतु प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

विधवा महिलाओं शहीदो की विधवाओ, उनके आश्रितों, गौरव सैनानियों को समाज के सहयोग, सहानुभूति की अत्यधिक आवश्यकता है। इनमें शहीदों की विधवाएँ, समाज का सर्वाधिक उपेक्षित, वंचित पिछड़ा अंग है आज भी इस आधुनिकीकरण वैश्वीकरण के युग में जहाँ महिला सशक्तीकरण वर्ष मनाया जाता है वहाँ विधवा महिलाओं, शहीदों की विधवाओं को विकास के अधिकार से ही नहीं बल्कि जीवन के मूलभूल अधिकारो, सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है इनकी सोचनीय स्थिति को सुधारने के लिए समाज की दकियानूसी संकीर्ण सोच जो महिलाओं के प्रति है उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। शहीदों की विधवाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज पूरे भारत में महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा रहा है। विगत कुछ वर्षो में विधायन, विकास कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि शहीदों की विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाये, उन्हे सुढ़ृढ, आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि राष्ट्र के विकास में शहीदों की विधवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में भारत महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में महिला सुरक्षा से सम्बन्धित सामाजिक विधायन को सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य से निकालकर व्यवहारिक बनाने व उनके उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता हे। (के.एल. शर्मा)

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अराध्या, बी.एम.एम., 1987 "व्हाट इज मीन्स टू बी ए विडो" सोशल वेलफेयर, वोल्यूम 34, नं. 1, पेज नं. 553
2. पाटिल, गोदावरी डी. 2000 "ए स्टडी इन डेप्रिवेशन–हिन्दू विडोज" ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पेज नं. 28–29
3. राजकुमार, 2000 "वि हुड क्यूर्स टू हयूमिनिटी एन साइक्लोपीडिया ऑफ वूमन" फर्स्ट एडिशन, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।

4. कैटन, ए.आर. एण्ड मेरियली ई., 1930 होम एण्ड मरिज इन द की प्रोगेस 5 ए सर्वे ऑफ द स्टेट्स एण्ड कन्डीशन ऑफ वूमन इन इण्डिया" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन पेज नं. 125

5. चक्रवर्ती उमा, 2000:, "विडोहुड एज सोशल डेथ" ह्यूमन स्केप

6. शर्मा अरविन्द 1988ः "सती हिस्टोरिकल एण्ड फीनोमेनो लोजिकल एसेज" मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, दिल्ली।

7. जोगुला जे.एम. 1988ः "द क्रिश्चियन प्रस्पेक्टिव एण्ड इन नागेरा, ई.टी.एल. (इडीएस) विडोहुड इन इण्डिया"

8. एस.डी.एम.ई.टी. एण्ड जे.एस. एस., धारवाड, पेज नं. 150

9. अल्टर चेन मार्था, 1998ः "विडोज इन इण्डिया सोशल नेगलेक्ट एण्ड पब्लिक एक्शन", सज प्रकाशन, नई दिल्ली

10. मनुः मानव धर्मशास्त्र (मनु स्मृति) चेप्टर 9–3 (पिता रक्षति कोमारे, भरता रक्षति यौवने)

11. रॉय अजीत कुमार, 1985 : "विडोज आर नॉट फॉर बर्निंग" फर्स्ट पब्लिशिंग ए.बी.सी. पब्लिशिंग हाऊस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, पेज नं. 325

12. शास्त्री मधु, 1990ः "स्टेट्स ऑफ हिन्दू वूमन", जयपुर आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, पेज नं. 55

13. सहाय सुषमा : विमेन एण्ड एम्पावरमेंट, पृष्ठ 17

14. बानू जेनेब, 2001 ट्राईबल वूमेन एम्पावरमेंट एण्ड जेण्डर इश्यू कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 1

15. डिगुमती भास्कर राव, डिगुमती पुष्पालता राव, : वीमैन एजुकेशन एण्ड इम्पावरमेंट डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृष्ठ–5

16. शर्मा के.एल. 2006ः "भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन" रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

❖◆❖